न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 03/2014

1. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री रामचन्द्र तिवाडी उम्र 60 साल निवासी सिन्धी कॉलोनी, तेजा जी चौक के पास, गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा।
2. श्री नरेन्द्र कुमार कोठारी पुत्र चन्दनमल जैन उम्र 51 साल निवासी कुन्दन होटल के पास बरल रोड बिजयनगर जिला अजमेर।

—— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत बरल द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
2. नेमीचन्द पारसमल जैन एच.यू.एफ. जरिये मैनेजर व कर्ता श्री पारसमल जैन पुत्र नेमीचन्द जैन उम्र 75 साल निवासी 1–10–240 अशोक नगर, इन्द्रा पार्क रोड, हैदराबाद।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

—— **अप्रार्थीगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट खिलाफ आदेश ग्राम पंचायत बरल द्वितीय बाबत् नामान्तरण स0 2308 दिनांक 20.06.2014

:– आदेश :– दिनांक 13.06.2016

अपिलार्थीगण ने इस अपील मीमों में सारांशतः निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने उनके रजिस्टर्ड बयानों के आधार पर दर्ज नामान्तकरण को अस्वीकार करने में कानूनी भूल की है। नामान्तकरण में प्रश्नगत अराजी मौजा बरल द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित अराजी न0 981/2 रकबा 02–02–05 बीघा में से 2000 वर्ग मीटर भूमि नामान्तकरण सं0 875 दिनांक 29.09.2000 से वाद संपरिवर्तन के गैर मुमकिन आबादी से दर्ज की गई है। अपिलांट्स द्वारा प्रत्यर्थी सं0 2 से कृषि भूमि एवं संपरिवर्तित भूमि सहित सम्पूर्ण अराजी को दिनांक 21.03.2014 को रू. 40,00,000/– में खरीद कर ली है। जिसका नामान्तकरण रंजिशवश ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा प्रस्ताव सं0 3 दिनांक 20.06. 2014 लेकर अस्वीकार कर दिया गया है। नामान्तकरण प्रक्रिया मात्र भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कब्जा हस्तांतरण एवं दस्तावेज देखा जाता है इसे नजरअंदाज कर ग्राम पंचायत ने मात्र कृषि व आबादी भूमि संयुक्त होने को आणार बनाकर गैरकानूनी रूप से अपिलांट्स का नामान्तकरण खारिज कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल फैसल करने से पूर्व कानूनी जानकारी किये बिना अपिलांट्स के नामान्तकरण को खारिज कर भारी भूल की है। अपिलांट्स ने कृषि भूमि एवं आबादी भूमि दोनों की सम्पूर्ण स्टाम्प ड्यूटी अदा की है अतः अधिनस्थ न्यायालय को दोनों के अलग–अलग नामान्तकरण दर्ज कराने चाहिये थे जो ना कर नामान्तकरण खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय का खारिजी आदेश अपास्त योग्य है अतः अपास्त करवाने के आदेश प्रदान करावें तथा पुनः अपिलांट्स के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत कराने के आदेश तहसीलदार बिजयनगर पर पारित किये जावे। अपील खर्च प्रत्यर्थी सं0 1 से दिलवाया जावे।

प्रकरण आज न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में ग्राम पंचायत मुख्यालय बरल द्वितीय पर पेश हुआ। प्रकारान उपस्थित। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बरल द्वितीय की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता सं0 309 की आराजी नं. 981/2 रकबा 02–02– 05 में विक्रेता नेमीचन्द पारसमल जैन एच.यू.एफ. जरिये पारसमल खातेदार दर्ज है इसी में 2000 वर्गमीटर जरिये सम्परिवर्तन आदेश गैर मुमकिन आबादी से दर्ज है। लेकिन खातेदार एक ही है। विक्रय पत्र जो

नेमीचन्द जैन द्वारा अपिलार्थीगण के पक्ष में दिनांक 21.03.2014 को निष्पादित किया गया है इसमें प्रश्नगत भूमि के सम्पूर्ण रकबे को विक्रय करना तहरीर किया गया है। ग्राम पंचायत बरल द्वितीय द्वारा जरिये लिखित तहरीर अपील स्वीकार कर अपिलार्थीगण के पक्ष में पुनः नामान्तकरण दर्ज करने के लिए अनापत्ति दे रखी है। प्रत्यर्थी संख्या 3 तहसीलदार बिजयनगर ने भी अपनी लिखित रिपोर्ट में ग्राम पंचायत के आदेश को अपास्त कर नये नामान्तकरण करने का सुझाव दिया है। प्रत्यर्थी सं0 2 ने भी अपनी सहमति लिखित में पेश की है। अभिलेख पर उपलब्ध सभी दस्तावेजी साक्ष्य एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा "ग्राम पंचायत पाक्षिक बैठक दिनांक 20.06.2014 के प्रस्ताव सं0 3 के अनुसार आबादी भूमि दर्ज होने के कारण नामान्तकरण अस्वीकार किया गया" आदेश विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य पाया जाता है। प्रश्नगत अराजी के एक ही खातेदार के खाते में होते नामान्तकरण निरस्त कर अधिनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। यह आदेश अभिलेख पर रहने योग्य नहीं पाया जाता।

अतः अपील अपिलांट्स आशिंक स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बरलद्वितीय द्वारा प्रस्ताव सं0 3 दिनांक 20.06.2014 के हवाले से अपिलांट्स के पक्ष में दर्ज नामान्तकरण सं. 2308 को निरस्त करने के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बिजयनगर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह अपिलांट्स द्वारा खरीदी गई मौजा बरल द्वितीय स्थित अराजी खसरा स0 981/2 रकबा 02–02–05 में 2000 मीटर गैर मुमकिन आबादी सहित सम्पूर्ण अराजी नामान्तकरण का पुनः नामान्तकरण अपिलांट्स के पक्ष में दर्ज करावें।

आदेश आज दिनांक 13.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम बरल द्वितीय पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.18 17:02:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: